

**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़**

**पीठासीन अधिकारी:- उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)**

**प्रकरण संख्या :- 194 / 2025**

स्टेट जरिये श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़



-:बनाम:-

पंकज कुमार ग्रोवर पुत्र प्यारेलाल (मालिक एवं विक्रेता)  
मैसर्स:-ममता एजेन्सीज, 67/1, पुरानी धानमण्डी, संगरिया, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।  
निवासी:-वार्ड नं. 19, ऋषि आश्रम चौक, संगरिया, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।

-अप्रार्थी

**खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 51**

**उपस्थित:-**

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. अप्रार्थी स्वयं।

-:निर्णय:-

**दिनांक :-10.04.2026**

प्रार्थी श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुदेश कुमार गर्ग दिनांक 13.09.2024 को समय सायं 09.00 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्स:-ममता एजेन्सीज, 67/1, पुरानी धानमण्डी, संगरिया, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर पंकज कुमार ग्रोवर पुत्र प्यारेलाल (मालिक एवं विक्रेता) निवासी-वार्ड नं. 19, ऋषि आश्रम चौक, संगरिया, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़ मौके पर मिला। उक्त विक्रेता के पास आमजन के बेचान वास्ते खाद्य पदार्थ Ghee (Vastu Brand) 10 टिन (15 किलो X 10 टिन) लगभग 150 लीटर रखा हुआ था। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अमानकता का शक होने पर विक्रेता से 15 किलोग्राम के सील टिन को खोलकर उसमें से 800 मिलीग्राम नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। जिसको चार बराबर भागों में बांटकर चार साफ सुखी खाली प्लास्टिक की शीशीओं में भरकर लिया। मौके पर विक्रेता को उक्त Ghee (Vastu Brand) के खरीद मूल का 358/-रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा 800 मिलीग्राम Ghee (Vastu Brand) को चार बराबर भाग में प्लास्टिक की शीशीओं में भरकर लिया और चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर लेबल स्लिप कोड नं. एके-3608 मिन पर दर्ज कर चारों शीशीओं पर चिपकाया। प्रत्येक शीशी को मोटे खाकी कागज में लपेटा ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके-3608 मिन पर दर्ज कर चारों शीशीओं पर चिपकाया। प्रत्येक शीशी को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार-चार जगह से सील चपड़ी किया। सील नमूने पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 06 की प्रतियां तैयार की एवं प्रत्येक फार्म पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। इसके पश्चात एक नमूना भाग मय फार्म नं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हेल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 1114 दिनांक 24.09.2024 जिसके अनुसार नमूना जांच Substandard & Contravenes of Regulation प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा

गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2024/13250-51 दिनांक 17.10.2024 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि में पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा नमूने के द्वितीय भाग को रैफरल फूड लैब, मैसूर भिजवाया। निदेशक, रैफरल फूड लैब, मैसूर की रिपोर्ट संख्या 1477F/FSSA/2024 दिनांक 12.02.2025 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में उक्त नमूने को Substandard Food होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय के पत्रांक एफएसएसए/2025/4223 दिनांक 27.03.2025 द्वारा मालिक/विक्रेता को 07 दिवस में फर्म का खाद्य लाईसेंस/प्रोपराईटर पहचान पत्र/जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं संबंधित माल Ghee (Vastu Brand) का क्रय बिल प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया जिसके जबाब में खाद्य विक्रेता/मालिक द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। उक्त खाद्य विक्रेता/मालिक के दस्तावेज कार्यालय रिकार्ड से प्राप्त किये गये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अनुसंधान कार्य संपन्न होने के पश्चात समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये जिन्होंने समस्त कागजातों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्यायनिर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। लिखित अनुमति संलग्न परिवाद है। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Substandard Ghee (Vastu Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Ghee (Vastu Brand) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि उक्त घी में मुताबिक लैब रिपोर्ट मानकों में केवल नाममात्र का अंतर है। उक्त घी बंद टिन पैकिंग में था। कई बार वातावरण में बदलाव आने से उक्त कमी आना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त इसमें कोई भी कमी नहीं पाई गई है। उक्त घी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक नहीं पाया गया है। अप्रार्थी ने कम से कम जुर्माना लगाने बाबत निवेदन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Ghee (Vastu Brand) की जांच में Substandard की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा Substandard Ghee (Vastu Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी के Substandard कृत्य के लिए धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 10,000/- (अखरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक-एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 10.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(उम्मेदी लाल मीना)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
हनुमानगढ़